न्यायालयः — अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप0 प्रकरण कमांक 149 / 12 संस्थित दिनांक 06.03.2012 फार्ड. नं.–234503003042012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर जिला बालाघाट म०प्र०।

.....अभियोजन।

विरुद्ध

- 1.बिरनसिंह पिता अदलसिंह, उम्र—46 साल, निवासी किनारदा थाना रूपझर जिला बालाघाट।
- 2. गजेश पिता सूरजलाल पटले, उम्र—30 वर्ष, निवासी खर्रा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट। (पूर्व से निर्णित)

......अभियुक्तगण। —:: <u>निर्णय</u> ::— <u>आज दिनांक 22.03.2018 को घोषित</u>

- 01— अभियुक्त बिरनिसंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 तथा मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 146/196 के तहत् यह आरोप है कि उसने दिनांक 01.12.2011 को शाम 06:00 बजे शाम ग्राम किनारदा मानिसंह गोंड के खेत के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायिकल क्रमांक सी.जी.04/सी.ए.2817 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत उत्तमिसंह व भोजरात को ठोस मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को मोटर सायकिल चालक कमांक सी.जी.04सी.ए.2817 के चालक बिरनसिंह मरकाम ने लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार से चलाकर प्रार्थी की मोटर सायकल को ठोस मारकर चोट पहुँचाया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना

में लिया गया। विवेचना दौरान मौका—नक्शा, गवाहों के कथन, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। चालक बिरनसिंह द्वारा बिना लायसेंस तथा बीमा के वाहन चलाये जाने से उसके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 तथा वाहन मालिक द्वारा आरोपी बिरनसिंह को बिना लायसेंस के वाहन चलाने देने से धारा—5/180 का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त बिरनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत भोजराज ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी बिरनसिंह को भारतीय वण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया। आहत भोजराज के परिप्रेक्ष्य में आरोपी बिरनसिंह के विरूद्ध भारतीय वण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196, 3/181 तथा आहत उत्तमसिंह के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196, 3/181 का विचारण किया गया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—
1.क्या आरोपी बिरनिसंह ने दिनांक 01.12.2011 को शाम 06:00 बजे शाम ग्राम किनारदा मानिसंह गोंड के खेत के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायिकल क्रमांक सी.जी.
04/सी.ए.2817 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

- 2.क्या आरोपी बिरनसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये आहत उत्तमसिंह को ठोस मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
- 3.क्या आरोपी बिरनसिंह ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाया।

सकारण व निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02:-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 05— कन्हेंयालाल अ.सा.01 ने कहा है कि वह हाजिर आरोपी तथा आहतगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले दिन के लगभग 3:30 बजे की है। जब वह खेत पर था, तो आरोपी बिरनसिंह अपनी मोटर सायिकल से मसनाटोला तरफ से पटेलटोला तरफ आ रहा था। सामने आहत भोजराज मोटर सायिकल से गलत साईड से जा रहाथा, तो आहत भोजराज ने बिरनसिंह का एक्सीडेंट कर दिया था। फिर उसने खिलयान से आकर बिरनसिंह को उठाया। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्षा प्रदर्ष पी—1 नहीं बनाया था, किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 06— कन्हैयालाल अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी बिरनसिंह ने अपनी मोटर सायकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर भोजराज को टक्कर मार दिया था, पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्षा प्रदर्ष पी—1 बनाया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह न्यायालय के समक्ष आहत की गलती से दुर्घटना हुई वाली बात पहली बार बता रहा है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रकरण की विवेचना करने आये थे, तब मुख्य परीक्षण में बताई गई बात के संबंध में कथन नहीं दिया था तथा आरोपी

उसके गांव का होने के कारण उसके पक्ष में बयान दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी अपनी साईंड से धीमी गति से जा रहा था, उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी तथा आहत भोजराज की लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित हुई थी।

- 07— मानसिंह अ.सा.02 ने कहा है कि वह हाजिर आरोपी तथा आहतगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। घटना दिनांक को जब बिरनसिंह मोटर सायकिल से मसनाटोला तरफ से पटेलटोला तरफ आ रहा था। आहत भोजराज ने बिरनसिंह को मोटर सायकिल से टक्कर मार दिया पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 08— मानसिंह अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 01.12.2011 को जब वह अपने खलियान में था, तब करीब 5—6 बजे शाम में अपनी मोटर सायिकल से अपनी साईड से एक सवारी को मोटर सायिकल में बैठाकर मसनाटोला तरफ जा रहा था, सामने से बिरनसिंह अपनी मोटर सायिकल से आया और भोजराज की मोटर सायिकल से टक्कर हो गई, भोजराज और उसके साथ मोटर सायिकल में बैठा व्यक्ति दोनों मोटर सायिकल से गिर गये और उन्हें चोट लगी, आरोपी बिरनसिंह असावधानीपूर्वक गाड़ी नहीं चलाता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती तथा पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्षा प्रदर्ष पी—1 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 09— मानसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना भोजराज के द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने से हुई थी, आरोपी बिरनसिंह अपनी गाड़ी से धीरे—धीरे अपने साईड से मसनाटोला से पटेलटोला जा रहा था, जिसे भोजराज के द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए बिरनसिंह को टक्कर मार दिया, उक्त दुर्घटना में बिरनसिंह के दात टूट गये थे और मुँह से खून निकल रहा था और

पसली में चोट आई थी। उन लोगों ने बिरनसिंह को उठाकर घर ले गये थे, नहीं उठाते तो मर जाता।

- 10— मानसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि बिरनसिंह की गाड़ी टूट—फूट गई थी, पुलिस को पूछताछ के दौरान यह बताया था कि भोजराज की गलती से दुर्घटना हुई है और उसी ने दुर्घटना किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने कोई और कथन लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि भोजराज गलत साईड से आकर बिरनसिंह को टक्कर मार दिया था, जिससे दुर्घटना हुई, भोजराज गलत साईड से नहीं आता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती, मौका नक्षा प्रदर्ष पी—2 में हस्ताक्षर पुलिस थाने में पुलिस के कहने पर किया था। पुलिस ने किस कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे, उसे नहीं मालूम। पुलिस ने कागज पढ़कर नहीं बताये थे और ना ही उसने पढ़कर देखा था।
- 11— भोजराम पंचतिलक अ.सा.03 ने कहा हैं कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी बिरनसिंह को पहचानता हैं। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष से अधिक समय की शाम की ग्राम किनारदा की है। घटना दिनांक को वह भण्डेरी से किनारदा मोटर सायिकल से अपनी साईड से जा रहा था, तभी आरोपी की मोटर सायिकल सामने साईड से आई और उसकी साईड में आकर उसकी मोटर सायिकल को ठोस मार दिया था, जिससे वह मोटर सायिकल से गिर गया था। उक्त दुर्घटना में उसे पैर और हाथ में चोट आई थी। घटना के समय उसके साथ उत्तम था, जिसे पैर में चोट आई थी, क्योंकि उसने उसकी साईड में आकर टक्कर मारी थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 12— भोजराम पंचतिलक अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरिक्षण में यह स्वीकार किया हैं कि इस घटना से संबंधित उसके विरूद्ध भी धारा—279, 337, 338 का मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसमें उत्तम भी आरोपी हैं। घटना कन्हैया

और मानसिंह के खेत के पास की हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया हैं कि कन्हैया और मानसिंह घटनास्थल पर थे, किन्तु यह अस्वीकार किया हैं कि वह घटनास्थल से भाग गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया हैं कि उक्त घटना में गांव वाले मारपीट करने के लिये दौड़ रहे थे, उक्त दुर्घटना में आरोपी बिरनसिंह के दात, पसली और मस्तिष्क में चोट आई थी, आरोपी बेहोष हो गया था।

- 13— भोजराम पंचतिलक अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरिक्षण में यह अस्वीकार किया है कि आरोपी मर गया समझकर वह लोग वहाँ से भाग गये थे, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उत्तम और वह दोनों होष में थे, उत्तम और उसके द्वारा अस्पताल जाकर ईलाज करवाया गया था, उनके द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय उसे आरोपी का नाम मालूम नहीं था। साक्षी के अनुसार उसे घटना के समय नाम मालूम चल गया था। यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों को कोई चोट नहीं आई थी और आरोपी के चोटग्रस्त होने व उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने से उसने झूठी रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध लिखवाई थी।
- 14— उत्तम डोंगरे अ.सा.04 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी बिरनिसंह को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व शम के लगभग 5 बजे ग्राम किनारदा की है। घटना दिनांक को वह भोजराज के साथ मोटर सायिकल में पीछे बैठकर किनारदा से बरवाही की ओर जा रहे थे, जैसे ही किनारदा से आगे निकलकर अपनी साईड से जा रहे थे, तभी सामने से आरोपी बिरनिसंह मोटर सायिकल से आया और उनकी साईड में आकर उनकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दिया था। उक्त दुर्घटना में वह लोग गिर गये थे। दुर्घटना के बाद वह बेहोष हो गया था। दुर्घटना में उसे दांये पैर के घुटने में चोट लगी थी एवं दाहिने पैर के घुटने में और दाहिने हाथ में चोट लगी थी। उक्त दुर्घटना आरोपी बिरनिसंह की गलती

से हुई थी। उसका ईलाज शसकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 15— उत्तम डोंगरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार हैं कि आरोपी की रिपोर्ट पर उनके विरूद्ध भी न्यायालय में मामला चल रहा हैं। यह स्वीकार हैं कि घटना दिनांक को उसे आरोपी का नाम नहीं मालूम था। साक्षी के अनुसार कि उसे घटना के बाद होष आया, तब नाम की जानकारी हुई। यह स्वीकार हैं कि कि प्रार्थी भोजराज गाड़ी चला रहा था, वह कैसे चला रहा था, उसे जानकारी नहीं हैं। उसे इस बात की जानकारी नहीं हैं कि कन्हैया और मानसिंह के खेत की बात हैं। यह स्वीकार हैं कि भोजराज ने उसे घटनास्थल से चार पहिया वाहन में ले गया था। यह अस्वीकार हैं कि घटना मसनाटोला की हैं।
- पुझावों को अस्वीकार हैं कि घटना में उन लोगों को चोट नहीं आई थी, आरोपी की रिपोर्ट से बचने के लिये उन्होंने आरोपी के विरूद्ध झूटा मामला तैयार किया हैं, आरोपी अपनी साईड से आ रहा था और उन लोगों ने उसके वाहन को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की थी। उसने अपने पुलिस कथन में यह नहीं बताया था कि दिनांक 02.12.11 को जब उसे अस्पताल में होष आया था, तो देखा कि भोजराज उसके बाजू के बेड में पड़ा था। यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार हैं कि वह आरोपी के विरूद्ध दुर्घटना की राषि प्राप्त करने के लिए झूटे कथन कर रहा है।
- 17— सुद्दल तेकाम अ.सा.05 ने कहा है कि वह आरोपी वीरेन्द्र सिंह को जानता है। उसके सामने पुलिस ने वीरेन्द्र सिंह से एक मोटर सायकिल मय दस्तावेज के जप्त की थी, जप्ती पत्रक प्रदर्ष पी—2 हैं, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस उसके सामने आरोपी वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर

थाने ले गई थी, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्ष पी-03 हैं,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

- 18— सुद्दल तेकाम अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरिक्षण में यह स्वीकार किया हैं कि वह मजदूरी करता हैं। वह चिखलाजोड़ी से एक किलोमीटर आगे बालाघाट रोड में गया था, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ पर बस और मोटर सायकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जो बस से टकराया था और जो मोटर सायकिल वाला था, तब बालाघाट रोड से पुलिस वाले ने मोटर सायकिल जप्त किये थे, जो मोटर सायकिल चला रहा था वह मर चुका था, उसका मृत शरीर था। पैर टूट कर अलग हो गये थे। किसी कम्पनी की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी वह नहीं बता सकता। किस व्यक्ति से जप्ती किया गया उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह अस्वीकार है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं और वह झूठे बयान दे रहा हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि किनारदा के पास कोई घटना घटी हो तो उसके बारे में उसे मालूम नहीं हैं। किनारदा से उसके सामने कोई मोटर सायकिल जप्त नहीं की गई। पुलिस वाले ने उसे मोटर सायकिल चालक का नाम वीरेंद्र सिंह बताया था जो मर चुका था।
- 19— साक्षी रमेन्द्रसिंह अ.सा.09 ने कहा है कि उसके द्वारा थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 150/11 में जप्तशुदा वाहन केलिबर मोटर सायिकल क्रमांक सी.जी.04सी.1817 का परीक्षण करने पर ब्रेक, इंजन, गियर, क्लच, हेडलाईट, हार्न, हेंडल ठीक अवस्था में तथा एक साईड इंडिकेटर टूटा हुआ पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे वाहन परीक्षण हेतु कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है और ना ही उसने उक्त संबंध में प्रशिक्षण लिया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा वाहन परीक्षण किये बिना विवेचना अधिकारी के बताये अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा पूर्व निर्मित रिपोर्ट पर उसके द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये थे।

- 20— माखलिसंह अ.सा.10 ने कहा है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी बिरन से केलिबर मोटर सायिकल क्रमांक सी.जी.04सी.ए.2817 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक किस दिनांक, माह व वर्ष को तैयार किया गया था मालूम नहीं है, वह बरवाही रहता है उसका निवास स्थान रूपझर लिखा गया है, जो कि गलत है, जप्ती पत्र उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया है और ना ही उसने पढ़ा है और पुलिसवालों के बताये अनुसार उसने हस्ताक्षर किये हैं।
- 21— डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.०६ ने कहा है कि वह दिनांक 01.12.20111 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत उत्तमसिंह एवं भोजराम को उसके द्वारा शाम 8:30 बजे भर्ती किया गया था। उक्त आहतगण को लाने वालों के अनुसार रोड एक्सीडेंट में चोट आना बताया था, जिसकी सूचना उसके द्वारा बैहर पुलिस को प्रदर्श पी—4 के माध्यम से दी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरक्षक विजय क्रमांक 1056 के द्वारा मुलाहिजा फार्म लेकर आहत उत्तमसिंह पिता मेहतर डोंगरे, उम्र—30 साल, निवासी बरवाही को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें उसने निम्नलिखित चोटें होना पाया था।
- 22— डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.०६ के अनुसार आहत उत्तमिसेंह को आई चोट कमांक 01—कटी—फटी चोट जो कि तीन चौथाई गुणा आधा इंच लिये अनियमित किनारे मांसपेशी तक गहराई लिये, जिसमें सूखा हुआ रक्त जमा था तथा लालिमा लिये उक्त चोट बांये कान के बाहरी भाग पर थी, चोट कमांक 02—कंट्यूजन विथ एब्रेजन जो कि एक गुणा आधा इंच लिये तिरछापन लिये तथा दाहिने घुटने के सामने की तरफ स्थित थी, चोट कमांक 03—एक

कंट्यूजन विथ एब्रेजन जो कि तीन चौथाई गुणा एक चौथाई लिये जिसके मध्य आकार पर छोटे आकार का एब्रेजन था, जो कि दाहिने पंजे पर बाहर की तरफ स्थित था।

- 23— डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.०६ के अनुसार आहत होश में था, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे तथा उसका हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा चोट कमांक 02 एवं 03 खुरदुरे सतह से आ सकती है। उसकी जांच के आठ घंटे के अन्दर की है। चोट कमांक 01 में टांके लगाये गये आहत को देख—रेख हेतु भर्ती किया गया। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 24— डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.०६ के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत भोजराज पिता बंटूलाल को लाने पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें आहत को निम्न चोटें पाया था। चोट कमांक 01—कंट्यूजन विथ एब्रेजन जो कि डेढ़ गुणा आधा इंच लिये तिरछापन लिये लालिमा लिये, जिसके मध्य भाग पर छोटे आकार का एब्रेजन होना पाया, सूखा हुआ रक्त पाया था। उक्त चोट दाहिने पैर के अग्रभाग पर होना पाया था, चोट कमांक 02—एब्रेजन तीन चौथाई गुणा आधा इंच लिये अनियमित किनारे लालिमा लिये सूखा हुआ रक्त पाया था। उक्त चोट दाहिने एंकल ज्वॉईट पर बाहर की तरफ होना पाया था, चोट कमांक 03—एब्रेजन तीन चौथाई गुणा एक चौथाई इंच लिये जिस पर सूखा हुआ रक्त होना पाया था। उक्त चोट बांये पंजे के आन्तरिक भाग पर होना पाया था, चोट कमांक 04— कंट्यूजन डेढ़ गुणा एक इंच लिये अनियमित किनारे लालिमा लिये उक्त चोट बांये हाथ पर बाहर की तरफ होना पाया था। आहत होश में था, लेकिन चक्कर आ रहे थे तथा हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे।

- 25— डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.०६ के अनुसार उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा चोट कमांक 03 खुरदुरे सतह से आ सकती है। उसकी जांच के आठ घंटे के अन्दर की है। आहत को देख—रेख हेतु भर्ती किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.०६ है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दोनों आहत के शरीर में आई चोटें सामान्य प्रकृति की थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मोटर सायिकल से गिरने पर आहत को आई चोटें आ सकती है, उक्त चोटें स्वयं कारित की जा सकती है तथा उसने आहतगण का कोई परीक्षण नहीं किया था और पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार रिपोर्ट बनाकर दे दी थी।
- 26— हीरालाल अ.सा.08 ने कहा है कि वह दिनांक 01.12.2012 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा विवेचना उपरांत चालानी कार्यवाही की गई थी। चालानी कार्यवाही उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर थाना प्रभारी महोदय के.पी. मिश्रा को प्रस्तुत की गई थी। उसके उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। उसके द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने अंतिम प्रतिवेदन अपने मन से बगैर किसी आधार के तैयार किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में कोई विवेचना नहीं किया है।
- 27— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.०७ ने कहा है कि वह दिनांक 01.12.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे प्रदर्श पी—4 की अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थी। उक्त अस्पताल तहरीर की जांच पर मोटर सायकिल कमांक सी.जी.04सी.ए.2817 के चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक 150/11 धारा—279, 337 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल किनारदा थाना रूपझर के अंतर्गत होने के कारण उक्त अस्पताल तहरीर थाना

बैहर से थाना रूपझर को प्रदर्श पी-8 के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसके ए से ए भाग पर थाना प्रभारी रूपझर के हस्ताक्षर है।

- 28— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.07 के अनुसार उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 16.12.2011 को मानसिंग की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उत्तमसिंह डोंगरे, मानसिंग एवं दिनांक 21.12.2011 को आहत भोजराज के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 21.12.2011 को आरोपी वीरेन्द्र सिंह से मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.04सी.ए.2817 में मय रजिस्ट्रेशन बुक के साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 अनुसार जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.07 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आहतगण को आई चोटों का डॉक्टर एम.एस. कुमरे से क्यूरी रिपोर्ट देने के लिये प्रदर्श पी—9 के माध्यम से निवेदन किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। डॉक्टर साहब द्वारा दी गई क्यूरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 के पृष्ठ भाग पर लेख की गई है। आहत को फेक्चर नहीं होना बताया गया था। जप्तशुदा मोटर सायकिल कमांक सी.जी.04सी.ए.2817 का मैकेनिकल परीक्षण कराकर मैकेनिकल रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न की गई।
- 30— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे दिनांक 16.12.2011 को जांच हेतु तहरीर प्राप्त हुई थी। साक्षी के अनुसार दिनांक 10.11.2011 को तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 16.12.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाते समय गाड़ी के चालक का नाम पता नहीं चला था, यदि

प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—7 लिखे जाते तक चालक का नाम मालूम होता तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन में चालक के नाम का उल्लेख होता, उक्त पी.एल. जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लेख है कि वह अस्पताल तहरीर में पी.एल. हाथ में है लेख होने के कारण उसने उक्त बात एफ.आई.आर. में लेख की थी। उसे प्रदर्ष पी—4 में जो पी.एल. लेख की गई है। वो पैसेन्ट होष में हो, लेख हो तो वह उसे समझ नहीं आया।

- 31— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार हैं कि उसने डॉक्टर साहब की लिखित तहरीर के आधार पर प्रथन सूचना प्रतिवेदन प्रदर्ष पी—7 लेखबध्द किया हैं। साक्षी के अनुसार अस्पताल तहरीर की जॉच कर एवं गवाहों के कथन के आधार पर लेख की थी। यह स्वीकार किया हैं कि बैहर अस्पताल की तहरीर पुलिस थाना रूपझर के नाम लेख नहीं हैं। साक्षी के अनुसार थाना बैहर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। थाना बैहर से जो तहरीर प्राप्त हुई थी वह दिनांक 10.12.2011 को तहरीर प्राप्त हो गई थी।
- 32— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.०७ ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार हैं कि दिनांक 04.09.2011 को तहरीर प्राप्त हो गई थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आहत भोजराज एवं उत्तम के विरुध्द भी दुर्घटना कारित किये जाने कि रिपोर्ट अपराध क्रमांक 149/11 दिनांक 16.12.2011 पंजीबध्द किया गया था।
- 33— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.०७ ने अपने प्रतिपरीक्षण इन सुझावों को स्वीकार हैं कि वह घटनास्थल पर दिनांक 16.12.2011 को 11.30 बजे पहुँचा था, इसके पहले नहीं गया, जब वह घटनास्थल पर गया, तब वहाँ काई गाड़ी नहीं गिरी पड़ी हुई मिली थी और ना ही कोई घटनास्थल पर था, कन्हैया व महेष को घटनास्थल पर पहुँचने के लिये उसने कोई नोटिस नहीं दिया था, मानसिंग को भी उपस्थित होने के लिये कोई सूचना नहीं दिया था। साक्षी के अनुसार गवाह, कन्हैया महेष, मानसिंग को सूचना दी थी। कन्हैया और महेष जिनके

सामने उसके द्वारा नजरी—नक्षा बनाया गया हैं वहीं से गुजर रहें थे जिनकी उपस्थिति में बनाया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार है कि उक्त दुर्घटना किनारदी से मसनीटोला रोड की है, घटना दिनांक 01.12.2011 की है, माखनसिंह और सुद्दसिंह रूपझर के रहने वाले हैं।

- 34— उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि माखनिसंह और सुद्दिसंह को बुलाकर बस से दुर्घटना हुई हैं हस्ताक्षर करवाया था, आहत भोजराज व उत्तमिसंह के विरूध्द दुर्घटना का प्रकरण बनाया गया था, जिससे बचाने के लिये उसके द्वारा आरोपी वीरेन्द्र सिंह के विरूध्द झूढ़ा प्रकरण बनाया गया है, उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार है कि प्रदर्ष पी—7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में चालक का नाम नहीं हैं। साक्षी के अनुसार वाहन कमांक सी.जी. 04—सी.ए.2817 के चालक के नाम पर दर्ज हैं। साक्षी ने यह स्वीकार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्ष पी—7 में मोटर सायिकल सी.जी.04—सी.ए.2817 के चालक का नाम नहीं बताया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार है कि उसने आरोपी के विरूध्द झूढी विवेचना कर प्रकरण तैयार किया है।
- 35— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को सड़क दुर्घटना में आहत भोजराज एवं उत्तमिसंह को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। आहत उत्तम डोंगरे अ.सा.04 तथा परिवादी भोजराम अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी की रिपोर्ट पर उनके विरूद्ध भी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। उत्तम डोंगरे अ.सा.04 ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी भोजराज गाड़ी चला रहा था, वह कैसे चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। परिवादी भोजराम अ.सा.03 ने स्वीकार किया है कि आरोपी बिरनसिंह को भी उक्त दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी और वह बेहोश हो गया था तथा वह और उत्तम होश में थे तथा उनके द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी।

- 36— प्रकरण में अन्य साक्षी कन्हैयालाल अ.सा.01 तथा मानसिंह अ.सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी अपनी साईड से धीमी गति से जा रहा था और उक्त दुर्घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी तथा उक्त दुर्घटना आहत भोजराज की लापरवाही से हुई थी। जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी माखलसिंह अ.सा.10 ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के बताये अनुसार हस्ताक्षर कर दिया था। डाँ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने स्वीकार किया है कि आहतगण को आई चोटें सामान्य प्रकृति की थी। विवेचक साक्षी उमेलाल भुनेश्वर अ.सा.07 ने यह स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर गया था, तब वहाँ पर कोई गाड़ी और ना ही कोई घटनास्थल पर उपस्थित था तथा उसने मौका नक्शा वहीं से गुजर रहे महेश एवं कन्हैया की उपस्थित में बनाया था। प्रकरण में विचारण के दौरान परिवादी भोजराज अ.सा.03 ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है। मौका नक्शा प्र.पी.01 से स्वयं आहत का विपरीत दिशा में होना दर्शित है।
- 37— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी—अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन मोटर सायकिल कमांक सी.जी.04 / सी.ए.2817 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत उत्तमसिंह को ठोस मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

विचारणीय बिन्दू कमांक 03 का निष्कर्ष :-

- 38— पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय अभियुक्त वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना लायसेंस व बीमा के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।
- 39— अतः अभियुक्त बिरनसिंह को भा.दं०सं० की धारा—279, 337 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 146/196 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 40- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 41— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी. 04 / सी.ए.2817 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 42— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा—428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / 🗕

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)